ISSN 2395 – 1516
प्रवेशांक, जनवरी 2015
Volume - I, January 2015

शोध नर्मदा

कला-मानविकीय-समाज विज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका

Shodh Narmada

International Multi Disciplinary Research Journal

: प्रकाशक :

शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी
अग्रणी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

अनुक्रमणिका

क्रं.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	स्वामी विवेकानंद के दर्शन में नव्य वेदान्त एवं धर्म का समावेशी चिंतन–अंजली बर्मन	1–4
2.	जबलपुर जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दी जा रही सुविधाओं का अध्ययन– कु. अनीता बालानी	5–7
3.	अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी छात्रो के सृजनात्मक चिन्तन का अध्ययन – डॉ. शोभना खरे	8–10
4.	मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता व्यवसाय में कार्यरत् श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन – भारती यादव, डॉ. चित्रा राय	11–14
5.	महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं की संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन–धीरज झा, डॉ. शोभना खरे	15–17
6.	मुखतलिफ मौसम और उर्दू शायरी – डॉ.गुल–ए–नग़मा	18–20
7.	जल संसाधन का प्रबंधन एवं उपयोग (सिवनी जिले के संदर्भ में) –नीतू उइके, मिताली पॉल, डॉ. सुमनलता पुरोहित	21–22
8.	काव्य रूढ़ियाँ–संस्कृत साहित्य के संदर्भ में –श्रीमती रजनी दुबे, डॉ माला प्यासी	23–25
9.	जीवन धारा के युवा, मध्य एवं वृद्धा अवस्था में परामर्श का महत्व –डॉ. रत्ना जौहरी, डॉ. श्रीमती शोभना खरे	26–28
10.	उच्च शिक्षा क्षेत्र में समान पारिश्रामिक अधिनियम 1976 का मूल्यांकन (जबलपुर शहर की कामकाजी महिलाओं के विशेष संदर्भ में)–श्रीमती सरिता गोयल	29–32
11.	पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों की जीवन संतुष्टि का अध्ययन –शिल्पी पासी, डॉ. श्रीमती शोभना खरे	33–35
12.	योग करने वाले तथा नहीं करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं के व्यक्तित्व शीलगुण अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी का अध्ययन –सुमित पासी, डॉ. शोभना खरे	36–38
13.	भारतीय खुदरा क्षेत्र की प्रभावशीलता, चुनौतियॉ और भविष्य –वीनापाणी तिवारी, डॉ. चित्रा राय	39–41
14.	काव्यपाक – एक विवेचन – वीरेन्द्र कुमार चंदेल, डॉ. माला प्यासी	42–44
15.	खिलाफत आन्दोलन : एक भयंकर भूल – डॉ. अलकेश चतुर्वेदी	45–49
16.	मानवीय पूँजी निर्माण में महिला उद्यमियों की भूमिका (जबलपुर के विशेष संदर्भ में) – डॉ. जयश्री जोशी	50–54

उच्च शिक्षा क्षेत्र में समान पारिश्रामिक अधिनियम 1976 का मूल्यांकन

(जबलपुर शहर की कामकाजी महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

✍ *श्रीमती सरिता गोयल**

भारत को गरीबी से ऊपर उठाने का निश्चित तथा एकमात्र तरीका देश की महिलाओं को शिक्षित करना तथा उनके स्तर को ऊँचा उठाना है।''भारतीय संविधान, वर्ष 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना और समानता का अधिकार (मौलिक अधिकार) में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से महिलाएँ सुरक्षित हैं। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सभी सुविधाएँ तथा अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। समान पारिश्रामिक अधिनियम,1976में महिलाओं तथा पुरुषों को समान माना गया है तथा समान पारिश्रामिक देने का प्रावधान किया गया है। यह कानून कहता है कि एक ही तरह के काम के लिए स्त्री तथा पुरुष को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए।जिस काम पर पुरुषों को भर्ती किया जाए, उस काम पर स्त्रियों को भी भर्ती होने का हक है अगर वे उस काम के काबिल है।किसी भी संस्था का मालिक किसी भी महिला कर्मचारी से वेतन में, भर्ती में, पदोन्नति में, तबादले आदि में भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि कोई भी आपको इसलिए काम पर लगाने से इंकार करता है कि आप महिला है तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सभी सुविधाएँ तथा अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है।

साहित्य पुनरावलोकन –

पाण्डे रोली (2004)–प्रस्तुत शोध प्रबंध पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका का मूल्यांकनपरक अध्ययन है। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो का विश्लेषण किया जाऐं तो ग्रामीण विकास में जनतान्त्रिक पद्धति में आज भी पुरुषों का वर्चस्व है क्योंकि गाँवों में आज भी ऊँच–नीच भेदभाव विद्यमान है। यदि महिला प्रतिनिधि के माध्यम से देखा जाए तो जबलपुर जिले के संपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य में कुल 176 महिला सरपंच है। अतः यह स्पष्ट है कि आज महिलायँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है तथा अपने परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान कर रही है।

त्रिपाठी डॉ. रेणु (2008)–महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए समय–समय पर सरकारी स्तर पर प्रयास किये गये। लेकिन सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें बनायी गयी, कार्यक्रम चलाए गये लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जो वादे किये गये थे उन्हें क्या हकीकत में प्राप्त किया गया। यह जानने के उद्देश्य से लेखक ने इस पुस्तक को लिखा गया है। किसी भी देश का विकास वहाँ के मानव संसाधन पर भी निर्भर करता है। अतः महिला व पुरुष दोनों को समान अवसर के साथ देश के आर्थिक योगदान में सहयोग करना चाहिए।

श्रीवास्तव सुधारानी, श्रीवास्तव आशा (2009)–लेखिका ने अपनी पुस्तक ''महिला शोषण और मानवधिकार'' में महिलाओं को परिभाषित करते हुए गाँधी जी के विचारों को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ''स्त्री पुरुष की समानता का अर्थ यह नही है कि उनके धंधे भी एक हो। कोई स्त्री शिकार खेले या भाला चलाए तो कानून उसे मना नही कर सकता। लेकिन जो काम पुरुष का है उससे वह सहज ही झिझकती है। प्रकृति ने स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है किन्तु उनके काम भी अलग–अलग है।'' उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि गाँधी जी महिलाओं के समानाधिकार के पक्ष में थे।

अतः कामकाजी महिलाओं पर किये गए शोध के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को कार्य करने का अवसर,

**शोध छात्रा, वाणिज्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)*

मार्गदर्शन, एवं संसाधन उपलब्ध कराये जाते है तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सफलता प्राप्त होती है तथा महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में धनात्मक परिवर्तन होता है। जो समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन है।

शोध कार्य के उद्देश्य–

- उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं के एक ही प्रकार के कार्य का वेतन महिला एवं पुरुष में समान है कि नहीं, उसका अध्ययन करना।
- उच्च शिक्षा क्षेत्र में महिला एवं पुरुष के कार्यों के बँटवारे में भेदभाव किया जाता है कि नहीं, उसका अध्ययन करना।
- कार्यरत महिलाओं की समस्याओं से अवगत होना।

उपकल्पनायें– उच्च शिक्षा के शासकीय व अशासकीय क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं के एक ही प्रकार के कार्य का वेतन महिला एवं पुरुष में समान है।

शोध विधि–प्रस्तुत शोध प्राथमिक व द्वितीयक संमकों पर आधारित है। प्राथमिक संमकों का संकलन जबलपुर जिले के शहरी क्षेत्र के दैव निदर्शन विधि के आधार पर 15 अशासकीय महाविद्यालयों, 5 शासकीय महाविद्यालयों एवं 2 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। अध्ययन के लिए (25–65) आयु वर्ग की 240 महिलाओं में से शासकीय क्षेत्र में 1067 महिलाओं में से 120 महिलायें, व अशासकीय क्षेत्र में 534 महिलाओं में से 120 महिलाओं का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। सांख्यिकी विश्लेषण के अन्तर्गत प्रतिशत विधि, माध्य, प्रमाप विचलन, व काई स्कैवर टेस्ट, की गणना की गई व निष्कर्ष प्राप्त किए।

प्रदत्तों का विश्लेषण–

महिला/पुरूष के समान कार्य के वेतन में अंतर–समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अनुसार एक ही तरह के काम के लिये महिला/पुरूष को एक समान वेतन मिलना चाहिए। अतः कार्यरत महिलाओं से प्राप्त सूचनाओं को सारणी कंमाक 01 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रंमाक 01

महिला/पुरूष के समान कार्य के वेतन में अंतर

विवरण	शासकीय क्षेत्र		अशासकीय क्षेत्र		कुल संख्या
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
हाँ	11	9	12	10	23
नहीं	109	91	108	90	217
योग	120	100	120	100	240

स्त्रोत– सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूष के समान ही वेतन प्राप्त हो रहा है जिनका प्रतिशत क्रमश : 91 एवं 90 है जो कि इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन प्राप्त हो रहा है।

2 कार्यों में भेदभाव – कार्यरत महिलाओं से यह पूछा गया कि क्या कार्यालय में कार्यों के बंटवारे में महिला एवं पुरुष में भेदभाव किया जाता है प्रदान की गई जानकारी को सारणी कंमाक 02 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रंमाक 02

कार्यों में भेदभाव संबंधी विवरण

विवरण	शासकीय क्षेत्र		अशासकीय क्षेत्र		कुल संख्या
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
हाँ	35	29	40	33	75
नही	85	71	80	67	165
योग	120	100	120	100	240

स्त्रोत– सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही क्षेत्रों में महिला एवं पुरूष के कार्यों में भेदभाव नहीं किया जाता है जिनका प्रतिशत क्रमश 71 एवं 67 है।

परिकल्पना की जाँच व निर्वचन

उच्च शिक्षा के शासकीय व अशासकीय क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं के एक ही प्रकार के कार्य का वेतन महिला एवं पुरुष में समान है।

परिकल्पना की जाँच

क्षेत्र	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	माध्य का अंतर	χ^2का मान	स्वातन्त्रय संख्या
शासकीय क्षेत्र	120	100	28.28	1.6	0.0466	1
अशासकीय क्षेत्र	120	98.4	29.13			

स्त्रोत–सारणी क्रंमाक 01 पर आधारित

0.05 सार्थकता स्तर पर – 3.841

0.01 सार्थकता स्तर पर – 6.635

परिकल्पना क्रंमाक 01 से स्पष्ट है कि शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के एक ही प्रकार के कार्य का वेतन का प्राप्त माध्य 100 तथा अशासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के एक ही प्रकार के कार्य का वेतन का प्राप्त माध्य 98.4 तथा प्रमाप विचलन क्रमशः 28.28 व 29.13तथा दोनों माध्यों का अंतर 1०6 तथा काई वर्ग परीक्षण का मान 0.0466 है जो 0.05 एवं 0.01 दोनों सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकार होती है कि उच्च शिक्षा के शासकीय व अशासकीय क्षेत्र में एक ही प्रकार के कार्य का वेतन महिला एवं पुरुष में समान है।

निष्कर्ष :–कामकाजी महिलाओं के संबंध में उत्तरदायित्व की पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन व परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है । इस प्रकार अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अनुसार एक ही तरह के काम के लिये महिला/पुरूष को एक समान वेतन दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 91 एवं 90 है दोनों ही क्षेत्रों में महिला एवं पुरुष के कार्यों में भेदभाव नहीं किया जाता है जिनका प्रतिशत क्रमश : 71 एवं 67 है। जो कि इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन प्राप्त हो रहा है।

सुझाव :– उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं को भी घर व कार्यालय दोनों भूमिकाओं को निभाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यरत महिलाओं की समस्या के समाधान में लिये निम्न सुझाव दिये जा रहे है–

- उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को कम से कम शुल्क पर शिक्षा, स्वास्थ सेवा, मँहगाई भत्ता, यातायात सुविधा मिलनी चाहिये। उच्च शिक्षा में शासकीय क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को मिलनी वाली सभी सुविधाएँ अशासकीय क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी मिलना चाहिये।
- उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों चयन हेतु केन्द्रीय स्तर पर उच्च केन्द्रीय शिक्षा चयन बोर्ड तथा राज्य स्तर पर राज्य उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये जिससे प्राध्यापकों के चयन में पारदर्शिता लायी जा सके तथा चयन निश्चित समय में शीघ्रता से हो।
- कार्यरत महिलाओं को स्वयं के वेतन पर अधिकार रखना चाहिये तथा इतना सशक्त होना चाहिये कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकें।
- कार्यरत महिलाओं को महिला संरक्षण कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं होगे तब तक समस्याओं से घिरा हुआ पायेगी। इसलिए जरूरी है कि अपने आस–पास के वातावरण को समझे और सूझ–बूझ से काम लें।
- समान काम–समान वेतन तो योग्यता केवल महिलाएँ बढ़ाएँ । ये तो लिंगाधरित भेदभाव है । अतः महिलायें सशक्त रूप से उच्च श्रेणी पर पहुँच कर कार्य करने में सक्षम होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तकें

- मुखर्जी डॉ.रवीन्द्र नाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी अथवा (सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ), विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, 2008.
- कोठारी जी.आर.,रिसर्च मैथोडॉलोजी–मैथड एण्ड टैक्नीकस, विश्वा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003.
- शर्मा प्रेम नारायण, एवं अन्य, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेंटर, लखनऊ 2008.
- त्रिपाठी डॉ. रेणु "महिला सशक्तीकरण वायदे और हकीकत" प्रकाशक रोहित पब्लिशिंग हाउस (2008) पृ.सं 50–64 ।
- श्रीवास्तव सुधारानी, श्रीवास्तव आशा महिला शोषण और मानवाधिकार" अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस" (2009) पृ.सं 418–21।
- अग्रवाल,आर.सी.एवं अग्रवाल,संजय, 'उद्यमिता" साहित्य भवन पब्लिसिंग आगरा 2009।
- नाटाणी पी. एन., भारत में सामाजिक समस्याएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2000.।
- बोहरा आशा, भारतीय नारी–दशा दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
- शर्मा प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.
- शर्मा राजनाथ, भारतीय समाज, संस्थाएं और संस्कृति अटलांटिक पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली 2000.
- शर्मा राजेन्द्र कुमार, ग्रामीण समाजशास्त्र, अटलांटिक पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली 2000.
- अंसारी एम.एम., राष्ट्रीय महिला आयोग और नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000.

शोध प्रबंध

पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका का एक मूलयांकनात्मक अध्ययन (जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में) निर्देशक डा. पी.बी.सेनगुप्ता समाजशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

मैंगजीन

- कुरूक्षेत्र–मासिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना–मासिक, नई दिल्ली।

वेबसाइट

- www.google.com
- www.jabalpur.nic.in
- www.rdvv.com

✦ ✦ ✦